भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2764

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

महिसागर नदी का प्रदूषण

2764. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि महिसागर नदी का जो हिस्सा गुजरात के वडोदरा और आनंद जिले से होकर बहता है वह प्रदूषित हो रहा है जिससे नदीजल का उपभोग करने वाले लोगों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए और इसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ मिलकर मॉनीटरिंग केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में नियमित आधार पर नदियों के जल की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग करते हैं। सीपीसीबी की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार जैव-रसायन ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के मूल्य पर आधारित 323 नदियों पर 351 प्रदूषित नदी क्षेत्रों की पहचान की गई है। गुजरात में महिसागर नदी पर सैबलिया से बहादरपुर क्षेत्र की प्राथमिकता IV के अंतर्गत इन प्रदूषित क्षेत्रों में से एक (6-10 मिग्रा./ली.) के रूप में पहचान की गई है।

(ख) गुजरात सरकार ने सीपीसीबी को महिसागर नदी के पुनरूद्धार के लिए नदी पुनरूद्धार समिति (आरआरसी) (गुजरात सरकार द्वारा गठित) के अनुमोदन से एक कार्य योजना प्रस्तुत की है। सीपीसीबी के अनुसार, अनुमोदित कार्य योजना इस समय कार्यान्वयनाधीन है, जिसे गुजरात सरकार के समग्र देखरेख और समन्वय के तहत आरआरसी द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है।

*****